पटना में दिनांक–23 फरवरी, 2016 मंगलवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	गृह (आरक्षी) विभाग		
1.	केन्द्रीय चयन पषर्द (सिपाही भर्ती), बिहार के पुनर्गठन के आलोक में बिहार पुलिस हस्तक, 1978 खण्ड–III के परिशिष्ट–72 के क्रमांक–4 में संशोधन के संबंध में।	1.	स्वीकृत।
	ग्रामीण विकास विभाग		
2.	आर०आई०डी०एफ० XXI योजनान्तर्गत चयनित 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति (उत्तरी बिहार के 50 प्रखंड एवं दक्षिणी बिहार के 51 प्रखंड) तथा इस पर आने वाली कुल लागत रू० 93547.00 लाख (नावार्ड से ऋण के रूप में कुल 86667.14 लाख रूपये ऋण+ राज्यांश के रूप में रू० 6879.86 लाख) के व्यय की स्वीकृति, प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के 25 प्रखंडों (उत्तरी बिहार के 11 प्रखंड एवं दक्षिणी बिहार के 14 प्रखंड) में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र के निर्माण एवं इस पर होने वाले व्यय की स्वीकृति तथा इस योजना हेतु प्रति डी०पी०आर० 9.50 लाख रूपये+ प्रयोज्य सेवा शुल्क की दर से उत्तर एवं दक्षिण बिहार के लिए दो मानक डी०पी०आर० तैयार करने के लिए कुल 19.00 लाख रूपये + प्रयोज्य सेवा शुल्क (14.5%) अर्थात कुल 21,75,500.00 (इक्कीस लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये व्यय की स्वीकृति।	2.	स्वीकृत।
	जल संसाधन विभाग		
3.	जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता (असैनिक) को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत करने के संबंध में।	3.	स्वीकृत।
	नगर विकास एवं आवास विभाग		
4.	ADB (ऐशियन डेवलपमेंट बैंक) सम्पोषित गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–1 अनुमानित लागत कुल $50 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 311.30 करोड़ रू०) एवं गया जलापूर्ति योजना प्रोजेक्ट–2 अनुमानित लागत $10.47 मिलियन यू०एस० डॉलर (लगभग 64.91 करोड़ रू०) कुल 376.21 करोड़ रू० की योजना के कार्यान्वयन एवं उस पर संभावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।	4.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

5. "बोधगया आयोजना क्षेत्र" के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा की स्वीकृति के संबंध में। 5. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

6. "राजगीर क्षेत्रीय आयोजना क्षेत्र" के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषण की स्वीकृति के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

लघु जल संसाधन विभाग

7. लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में मेंर्सस शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड से संबंधित वाद मनीसूट संख्या–131/97 से उत्पन्न इजरायवाद संख्या–6/2000 मनीसूट संख्या–153/97 से उत्पन्न इजरायवाद संख्या–22/99 तथा मनीसूट संख्या–157/2001 से उत्पन्न इजरायवाद संख्या–11/12 में सूद की राशि कुल 3 करोड़ 11 लाख रूपये में० शक्ति ट्यूब्स लिमिटेड को भुगतान की स्वीकृति। 7. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

8. आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में दिनांक–14.05.2013 से 30.04.2014 तक निम्नवर्गीय लिपिक के लिए एक अधिसंख्य पद अस्थाई रूप से सृजित के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

9. सूचना प्रावैधिकी विभाग अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत् आई०टी० के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

10. समादेश याचिका संख्या–3517/2010 में दिनांक–06.05.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डा० नरेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, समस्तीपुर की बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प सं०–1351 (9), दिनांक–02.12.2009 को निरस्त करते हुए दिनांक–02.12.2009 से पुनर्स्थापित किये जाने के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

11.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में Central Plan Scheme - Scheme for Providing Quality Education in Madarasas (SPQEM) योजनान्तर्गत राज्य के अराजकीय एवं प्रस्वीकृत 1127 मदरसों में विज्ञान/भाषा शिक्षकों की नियुक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं प्रैक्टिल किट्स हेतु भारत सरकार से कुल स्वीकृत राशि ₹ 30,86,71,000 (तीस करोड़ छियासी लाख एकहत्तर हजार) रूपये मात्र से तत्काल 50% की राशि अर्थात ₹ 15,43,35,500 (पन्द्रह करोड़ तैतालीस लाख पैंतीस हजार पाँच सौ) रूपये मात्र का व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।	**11.**	**स्वीकृत।**
	<u>शिक्षा विभाग</u>		
12.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त राशि ₹7,71,78,29,000/– (सात अरब इकहत्तर करोड़ अठत्तर लाख उन्नतीस हजार रूपये) के समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹5,14,52,19,333/– (पाँच अरब चौदह करोड़ बावन लाख उन्नीस हजार तीन सौ तैंतीस रूपये) में से राज्यांश मद में अधिक उपलब्ध करायी गयी राशि 16928.59 लाख रूपये के समायोजन के पश्चात शेष राशि ₹3,45,23,60,333/– (तीन अरब पैंतालीस करोड़ तेईस लाख साठ हजार तीन सौ तैंतीस रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति तथा उक्त राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर राशि की निकासी करने की घटनोत्तर स्वीकृति।	**12.**	**स्वीकृत।**
	<u>शिक्षा विभाग</u>		
13.	बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना के स्थापना व्यय/वेतनादि भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 में गैर–योजनान्तर्गत 25,00,000/– (पच्चीस लाख रूपये मात्र) सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।	**13.**	**स्वीकृत।**
	<u>शिक्षा विभाग</u> (जन शिक्षा)		
14.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य में "**<u>साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम</u>**" के संचालन हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि 1144.00 लाख (ग्यारह करोड़ चौवालीस लाख) रूपये (केन्द्रांश–**858.00** लाख एवं राज्यांश **286.00** लाख) के अतिरिक्त कुल 6500.00 लाख (पैंसठ करोड़) रूपये जिसमें केन्द्रांश–**3900.00** लाख (उनचालीस करोड़) एवं राज्यांश **2600.00** लाख (छब्बीस करोड़) रूपया है, के सहायक अनुदान की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।	**14.**	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

15\. राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व में संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015–16 में माह अगस्त, 2015 से 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र के टोला सेवकों एवं 10,000 (दस हजार) तालीमी मरकज केन्द्र के शिक्षा स्वयंसेवियों के वर्तमान मानदेय 5000/– (पांच हजार) रू० प्रतिमाह से वृद्धि कर 8,000/– (आठ हजार) रू० प्रतिमाह करने के उपरांत मानदेय मद में अतिरिक्त कुल– 55,20,00,000/– (पचपन करोड़ बीस लाख) रू० निकासी एवं व्यय करने की स्वीकृति। **15.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

16\. वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना के अन्तर्गत 29,225 राजकीय/राजकीयकृत/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) मध्य विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक परिभ्रमण हेतु प्रति विद्यालय ₹20,000/– (बीस हजार रूपये) मात्र की दर से कुल ₹58,45,00,000/– (अन्ठावन करोड़ पैंतालीस लाख रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति। **16.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

17\. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राज्यांश मद से स्टील थाली क्रय करने हेतु 3816.73 लाख (अड़तीस करोड़ सोलह लाख तिहत्तर हजार रू०) के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **17.** **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

19\. सिविल अपील संख्या–2529/2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–28.03.2014 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु स्व० श्याम देव सिंह, सेवानिवृत जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नवादा के लिए दिनांक– 01.08.1999 से 30.09.2002 तक सुपर टाईम स्केल ₹ 22850–24850 का 01 (एक) छाया पद का सृजन। **19.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. अध्यापक शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए अनावर्ती मद में स्वीकृत ₹ 5000.00 लाख रूपये (पचास करोड़) रूपये में से द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में निर्गत ₹ 340.505 लाख रूपये (तीन करोड़ चालीस लाख पचास हजार पाँच सौ) रूपये एवं इसके अनुरूप राज्यांश ₹ 113.50 लाख रूपये (एक करोड़ तेरह लाख पचास हजार) रूपये कुल ₹ 454.005 लाख रूपये (चार करोड़ चौवन लाख पाँच सौ) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्गत द्वितीय किस्त की शेष राशि केन्द्रांश ₹ 1534.495 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़ चौतीस लाख उनचास हजार पाँच सौ) रूपये के अनुरूप राज्यांश ₹ 511.50 लाख रूपये (पाँच करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार) रूपये कुल 2045.995 लाख (बीस करोड़ पैतालीस लाख नीनानबे हजार पाँच सौ) रूपये अर्थात कुल ₹ 2500.00 लाख रूपये (पचीस करोड़) रूपये, जिसमें केन्द्रांश ₹ 1875.00 लाख रूपये (अठारह करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये राज्यांश ₹ 625.00 लाख रूपये (छः करोड़ पचीस लाख) रूपये है, की वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति। — 20. स्वीकृत।

वित्त विभाग

22. बिहार वित्त नियमावली, 1950 में संशोधन के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

23. वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार फाउण्डेशन हेतु ₹ 500.00 लाख (पाँच करोड़ रूपये) मात्र सहायक अनुदान स्वीकृति का प्रस्ताव। — 23. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

24. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर के परिसर में Advance Design & Development of Tool Room Centre के भवन निर्माण हेतु रू० 3,09,26,500.00 (तीन करोड़ नौ लाख छब्बीस हजार पाँच सौ) मात्र सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण की स्वीकृति के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

25. गेल (इण्डिया) लि० की प्रस्तावित योजना जगदीशपुर (उ० प्र०) से हल्दिया (प० बं०) तक नेचुरल गैस लाईन बिछाने के क्रम में बिहार राज्य से गुजरने के फलस्वरूप नेचुरल गैस के इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिहार सरकार एवं गेल इण्डिया लि० के बीच दिनांक–23.10.2013 को दो वर्षो के लिए हुए करार MOU पर अगले दो वर्षो के लिए अवधि विस्तार के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

26. पुनरीक्षित बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना (फेज–I&II), (प्राक्कलित राशि– ₹ 147440.00 लाख) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 26. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

27. Anti Erosion work for protection of Valmikinagar Forset on the left Bank of River Gandak in Down Stream of Valmikinagar Barrage in West Champaran District in Bihar. (Estimated Cost - Rs. 2380.84 lakh) Agenda No-122/121(A) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। | 27. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

28. खरीफ विपणन मौसम 2014–15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 300/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भुगतान की गयी अवशेष बोनस की राशि 122.68/– करोड़ (एक सौ बाईस दशमलव अड़सठ करोड़) रूपये को वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में। | 28. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

29. खरीफ विपणन मौसम 2013–14 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को 250/– रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति के आलोक में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम द्वारा भुगतान की अवशेष बोनस की राशि 101.21/– करोड़ (एक सौ एक दशमलव एक्कीस करोड़) रूपये को वित्तीय वर्ष 2015–16 में भुगतान करने की स्वीकृति। | 29. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

30. बिहार कारखाना नियमावली, 1950 में संशोधन। | 30. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

31. डा० (श्रीमती) निखत आफरीन तत्कालीन महिला चिकित्सा पदाधिकारी, गर्दनीबाग अस्पताल, पटना सम्प्रति (निलंबित) सिविल सर्जन कार्यालय, पटना को दिनांक–15.07.96 से 05.11.2007 तक यानि 11 वर्ष 3 महिना 20 दिन अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव के संबंध में। | 31. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

32.	डा० गजेन्द्र किशोर ठाकुर, प्राध्यापक, रेडियोलॉजी विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को दिनांक–22.03.04 के प्रभाव से प्राध्यापक, रेडियोलॉजी के पद पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में।	**32.**	**स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

33.	संविदा के आधार पर नियोजित पशु चिकित्सकों (प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी एवं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी) का मानदेय रू० 22,500/– प्रतिमाह से दिनांक–01.01.2016 के प्रभाव से रू० 29,500/– प्रतिमाह करने के संबंध में।	**33.**	**स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

34.	श्री नृपेन्द्र नाथ सहाय, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, किशनगंज, सम्प्रति सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, भागलपुर को बृहत दण्ड के रूप में निम्नतर कालमान वेतन में अवनति के दण्ड प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	**34.**	**स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

35.	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा–124 के अन्तर्गत पंचायत निकायों/ग्राम कचहरियों के आम चुनाव, 2016 हेतु अधिसूचना निर्गत करने के संबंध में।	**35.**	**स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

36.	CWJC सं०–10052/2011 विंध्याचल प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक–21.12.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में, राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय बकाये (45%) के मद में शिक्षा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 69 दिनांक–18.02.2015 द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि रू० 237,60,68,021/–(दो सौ सैतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार ईक्कीस) मात्र के, भुगतान हेतु स्वीकृत्यादेश की कंडिका–3(1) की शर्त्त को शिथिल करने की स्वीकृति के संबंध में।	**36.**	**स्वीकृत।**